न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम : **पंकज गढ़वाल (आर0ए0एस0)**

प्रकरण संख्या – 28/2024

अनवान : –

1. मनोहर लाल पुत्र रामजीलाल जाति जाट निवासी राजपुरिया तहसील नोहर।
2. सोहनलाल पुत्र रामजीलाल जाति जाट निवासी राजपुरिया तहसील नोहर।

–प्रार्थीगण

बनाम्

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार (राजस्व) नोहर।

– अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र रिकार्ड दुरस्ती
अन्तर्गत धारा 136 लैण्डरैवेन्यू एक्ट

उपस्थिति :– श्री संजय जोशी अधिवक्ता **प्रार्थी**
राजपेरोकार

निर्णय — **दिनांक:** 22/10/2024

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि प्रार्थी ने जरिये अधिवक्ता यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल.आर.एक्ट. के तहत इस आशय का पेश किया है कि रोही मौजा चक 7 बारानी तहसील नोहर के खाता संख्या 559/550 की कुल 0.7590 हैक्ट एवं रोही मौजा चक 3 आरएमएस तहसील नोहर के खाता संख्या 36/44 की कुल 1.6193 हैक्ट भूमि व रोही मौजा चक 3 आरएमएम तहसील नोहर के खाता संख्या 53/53 की कुल 1.8820 हैक्ट भूमि व रोही मौजा चक 11 जेएसएन तहसील नोहर के खाता संख्या 189/55 की कुल 2.9970 हैक्ट भूमि में प्रार्थीगण संयुक्त खाता में रिकार्डेड खातेदार दर्ज राजस्व रिकार्ड है।

उक्त वाद भूमि में प्रार्थीगण का नाम क्रमशः मोहनलाल उर्फ मनोहर पुत्र रामजीलाल व सोनु पुत्र रामजीलाल दर्ज है जो कि सहवन से दर्ज हुआ है प्रार्थीगण का वास्तविक व सही नाम प्रार्थी के दस्तावेजो यथा आधार कार्ड, पैन कार्ड आदि में क्रमशः मनोहर लाल पुत्र रामजीलाल व सोहनलाल पुत्र रामजीलाल दर्ज है।

राजस्व रिकार्ड में प्रार्थीगण का नाम गलत दर्ज होने से प्रार्थी को विभिन्न प्रकार की परेशानीयों का सामना करना पड़ रहा है। इसलिए प्रार्थी राजस्व रिकार्ड में प्रार्थीगण मोहनलाल उर्फ मनोहर पुत्र रामजीलाल व सोनु पुत्र रामजीलाल के स्थान पर अपना सही व वास्तविक नाम मनोहर लाल पुत्र रामजीलाल व सोहनलाल पुत्र रामजीलाल दर्ज करवा पाने का अधिकारी है।

प्रार्थीगण ने अप्रार्थी संख्या 1 को काफी मर्तबा कहा कि प्रार्थीगण का नाम राजस्व रिकार्ड में सही दर्ज कर देवे जिससे प्रार्थीगण ... हिस्सा कम अथवा ज्यादा नही होना केवल नाम ही सशोधित होना है परन्तु अप्रार्थी ... आजकल करते रहे अंत में इन्कार हो गये इसलिए यह प्रार्थना पत्र पेश किया गया है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2024.10.28 17:10:42 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

प्रार्थना पत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को जरिये सम्मन तलब किया गया। तहसीलदार राजस्व नोहर द्वारा रिपोर्ट इस आशय की प्रेषित की गई कि राजस्व रिकार्ड में प्रार्थीगण का नाम सही किया जाना उचित है।

बहस वकील प्रार्थीगण सुनी गई। दौराने बहस वकील प्रार्थीगण ने प्रार्थना पत्र के तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि प्रार्थीगण का सही नाम क्रमशः मनोहर लाल पुत्र रामजीलाल व सोहनलाल पुत्र रामजीलाल जबकि राजस्व रिकार्ड में प्रार्थीगण का नाम क्रमशः मोहनलाल उर्फ मनोहर पुत्र रामजीलाल व सोनु पुत्र रामजीलाल दर्ज हो गया जिससे प्रार्थी को विभिन्न प्रकार की परेशानीयों का सामना करना पड़ता है। अतः मुताबिक प्रार्थीगण के दस्तावेजों के आधार पर राजस्व रिकार्ड में सही नाम क्रमशः मनोहर लाल पुत्र रामजीलाल व सोहनलाल पुत्र रामजीलाल दर्ज कर रिकार्ड दुरूस्त किये जाने का निवेदन किया।

हमारे द्वारा अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। प्रार्थना पत्र में प्रस्तुत रिकार्ड के अनुसार रोही मौजा चक 7 बारानी तहसील नोहर के खाता संख्या 559/550 की कुल 0.7590 हैक्ट एवं रोही मौजा चक 3 आरएमएस तहसील नोहर के खाता संख्या 36/44 की कुल 1.6193 हैक्ट भूमि व रोही मौजा चक 3 आरएमएम तहसील नोहर के खाता संख्या 53/53 की कुल 1.8820 हैक्ट भूमि व रोही मौजा चक 11 जेएसएन तहसील नोहर के खाता संख्या 189/55 की कुल 2.9970 हैक्ट भूमि में प्रार्थीगण संयुक्त खाता में रिकार्डेड खातेदार दर्ज राजस्व रिकार्ड है, में प्रार्थीगण अपना नाम क्रमशः मोहनलाल उर्फ मनोहर पुत्र रामजीलाल व सोनु पुत्र रामजीलाल के स्थान पर क्रमशः मनोहर लाल पुत्र रामजीलाल व सोहनलाल पुत्र रामजीलाल दर्ज करवाना चाहते है। पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजात यथा आधार कार्ड, पैन कार्ड आदि में प्रार्थीगण का नाम क्रमशः कृष्ण कुमार पुत्र सन्तलाल व नरेन्द्र कुमार पुत्र सन्तलाल अंकित है तथा तहसीलदार नोहर द्वारा भी प्रार्थीगण के नाम सही करने की अभिशंषा की गई है।

अतः प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों एवं तहसीलदार की रिपोर्ट के आधार पर प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एलआरएक्ट स्वीकार योग्य होने के कारण स्वीकार किया जाता है कि रोही मौजा चक 7 बारानी तहसील नोहर के खाता संख्या 559/550 की कुल 0.7590 हैक्ट एवं रोही मौजा चक 3 आरएमएस तहसील नोहर के खाता संख्या 36/44 की कुल 1.6193 हैक्ट भूमि व रोही मौजा चक 3 आरएमएम तहसील नोहर के खाता संख्या 53/53 की कुल 1.8820 हैक्ट भूमि व रोही मौजा चक 11 जेएसएन तहसील नोहर के खाता संख्या 189/55 की कुल 2.9970 हैक्ट भूमि उक्त चारो खातों में प्रार्थी संख्या 1 का नाम **मोहनलाल उर्फ मनोहर पुत्र रामजीलाल के स्थान पर मनोहरलाल पुत्र रामजीलाल** व प्रार्थी **संख्या 2 सोनु पुत्र रामजीलाल के स्थान पर सोनु उर्फ सोहनलाल पुत्र रामजीलाल का नाम दर्ज किया जाकर राजस्व रिकार्ड दुरूस्त किया जाता है।** यदि किसी किसी न्यायालय में कोई अन्य अधिक वाद या जांच प्रार्थीगण के नाम क्रमश मोहनलाल उर्फ मनोहर पुत्र रामजीलाल व सोनु पुत्र रामजीलाल के नाम से विचाराधीन हो

Signature Not Verified
Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2024.10.28 17:10:42 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

या किसी सरकारी संस्था का क्रमश मोहनलाल उर्फ मनोहर पुत्र रामजीलाल व सोनु पुत्र रामजीलाल के नाम से देय बकाया हो तो उसके लिए प्रार्थीगण का नाम क्रमश मोहनलाल उर्फ मनोहर पुत्र रामजीलाल व सोनु पुत्र रामजीलाल ही लागू होगा। अगर नाम संशोधन को लेकर कोई तथ्य छुपाया गया हो और निकट भविष्ट में प्रकट होता है तो प्रार्थीगण स्वयं जिम्मेदार होगा। तहसीलदार नोहर को निर्णय की प्रति प्रेषित कर पालना हेतु पृथक से लिखा जावें।

निर्णय आज दिनांक 22/10/2024 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया पत्रावली फैसला शुमार होकर नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हों ।

(पंकज गढ़वाल R.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर
नोहर

Signature Not Verified

Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2024.10.28 17:10:42 IST
Reason: SelfAttested

कार्यालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, नोहर

पीठासीन अधिकारी : **पंकज गढ़वाल (आर0ए0एस0)**
क्रमांक : रीडर/सशोधन/2024/1077
तहसीलदार,
नोहर।

दिनांक : 25/10/24

विषय :– प्रकरण स0 28/2024 अनवानी मनोहरलाल आदि बनाम सरकार में पारित निर्णय की पालना करवाने के संबंध में।

प्रकरण संख्या – 28/2024
अनवान : –

1. मनोहर लाल पुत्र रामजीलाल जाति जाट निवासी राजपुरिया तहसील नोहर।
2. सोहनलाल पुत्र रामजीलाल जाति जाट निवासी राजपुरिया तहसील नोहर।

–प्रार्थीगण

बनाम्

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार (राजस्व) नोहर।

– अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र बाबत दुरूस्ती अन्तर्गत धारा 136 भू–राजस्व अधिनियम 1956

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि प्रकरण में निर्णय पारित किया जाकर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर कि रोही मौजा चक 7 बारानी तहसील नोहर के खाता संख्या 559/550 की कुल 0.7590 हैक्ट एवं रोही मौजा चक 3 आरएमएस तहसील नोहर के खाता संख्या 36/44 की कुल 1.6193 हैक्ट भूमि व रोही मौजा चक 3 आरएमएम तहसील नोहर के खाता संख्या 53/53 की कुल 1.8820 हैक्ट भूमि व रोही मौजा चक 11 जेएसएन तहसील नोहर के खाता संख्या 189/55 की कुल 2.9970 हैक्ट भूमि उक्त चारो खातों में प्रार्थी संख्या 1 का नाम **मोहनलाल उर्फ मनोहर पुत्र रामजीलाल के स्थान पर मनोहरलाल पुत्र रामजीलाल व प्रार्थी संख्या 2 सोनु पुत्र रामजीलाल के स्थान पर सोनू उर्फ सोहनलाल पुत्र रामजीलाल का संशोधन किया जाकर राजस्व रिकार्ड दुरूस्त किया जाता है।** यदि किसी किसी न्यायालय में कोई अपराधिक वाद या जांच प्रार्थीगण के नाम क्रमश मोहनलाल उर्फ मनोहर पुत्र रामजीलाल व सोनु पुत्र रामजीलाल के नाम से विचाराधीन हो या किसी सरकारी संस्था का क्रमश मोहनलाल उर्फ मनोहर पुत्र रामजीलाल व सोनु पुत्र रामजीलाल के नाम से देय बकाया हो तो उसके लिए प्रार्थीगण का नाम क्रमश मोहनलाल उर्फ मनोहर पुत्र रामजीलाल व सोनु पुत्र रामजीलाल ही लागू होगा। अगर नाम संशोधन को लेकर कोई तथ्य छुपाया गया हो और निकट भविष्य में प्रकट होता है तो प्रार्थीगण स्वयं जिम्मेदार होगे। यदि किसी न्यायालय का स्थगन आदेश न हो तो उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद हो।

Signature Not Verified

Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2024.10.28 17:10:42 IST
Reason: SelfAttested

(पंकज गढ़वाल R.A.S.)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर
नोहर